

दिनांक

आज्ञा पत्र

09.01.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थ को पूर्व पेशी पर हादायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलार्थ ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थ अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं हैं। फलस्वरूप अपील अपीलार्थ आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सत्रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी नुमांदा नम्बर के क्रम हटकर क्रम तुरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प बुन्देलखंड)

